संख्या-14/2021/787/94-1-2021-312(83)/2015-कलान

प्रेषक,

अजय कुमार अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन |

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० लखनऊ |

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 13 सितम्बर, 2021**

विषय:- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा-05 एवं 07 के अधीन नवसृजित तहसील कलान, जनपद शाहजहाँपुर में उप रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के सृजन एवं कार्यालयों को संचालित करने हेतु पदों के सृजन व वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में |

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-1389/तीन-ए-एम-565/शि०का०लख०/2021, दिनांक 07.07.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नवसृजित तहसील कलान, जनपद शाहजहाँपुर में उप निबन्धक कार्यालय की स्थापना हेतु पदों के सृजन व वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है |

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार उपलब्ध कराए गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया नवसृजित तहसील कलान, जनपद शाहजहाँपुर में उप निबन्धक कार्यालय की स्थापना हेतु निम्नलिखित अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में दिनांक 28.02.2022 तक के लिए, यदि ये पद इससे पूर्व किसी सूचना के समाप्त न कर दिए जायें, सृजित किये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

क्र०	**नवसृजित तहसील, जहाँ उप निबन्धक कार्यालय की स्थापना की जानी है**	**पदनाम**	**वेतनमान**	**अस्थायी रूप से सृजित पदों की संख्या**
1	कलान, जनपद शाहजहाँपुर	उप निबंधक	लेवल-10, रू० 56100-177500	एक
		निबन्धन लिपिक	लेवल-3 रू० 21700	एक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं०-91 के लेखाशीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण-03-पंजीकरण-001 निदेशन तथा प्रशासन 04-जिला व्यय के सुसंगत इकाई से वहन किया जायेगा |

4. नवसृजित उप निबन्धक कार्यालय कलान, जनपद शाहजहाँपुर की साज-सज्जा, फर्नीचर, कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा जनरेटर क्रय हेतु आवश्यक व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन तथा क्रय सम्बन्धी सुसंगत नियमों व शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा |

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या ई-9-989-दस-20212022 दिनांक 09.09.2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं |

भवदीय,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव |

<u>संख्या:-14/2021/787/94-1-2021-312(83)/2015-कलान एवं तद्दिनांक |</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज |
2- महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र० |
3-सम्बन्धित मण्डलायुक्त |
4-सम्बन्धित जिलाधिकारी |
5-सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी |
6-वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 |
7-वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-9 |
8-सम्बन्धित सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/ उप महानिरीक्षक निबन्धन |
9- गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।